न्यायालय उप खण्ड अधिकारी भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

(निर्णय बइजलास श्री छत्रपाल चौधरी, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी)

प्रकरण संख्या 1/प्रा.पत्र/2024

1. कन्हीराम आ0 भुवान जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो का खेड़ा तहसील पचपहाड़
2. बगदूराम आ0 भुवान जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो का खेड़ा तहसील पचपहाड़
3. सालगराम आ0 भुवान जाति गूर्जर निवासी गुर्जरो का खेड़ा तहसील पचपहाड

....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़।

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–

1. श्री अश्वीन शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।

दिनांक 11.11.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम माण्डवी तहसील पचपहाड़ में जमाबंदी खाता संख्या नया 479 व खाता संख्या पुराना 453 मे खसरा नं0 257 रकबा 0.0632 हेक्टेयर खसरा नं0 258 रकबा 0.0253 हेक्टैयर खसरा नम्बर 278/1 रकबा 0.1012 हेक्टेयर खसरा नं0 317 रकबा 0.4046 हैक्टेयर खसरा नम्बर 392 रकबा 0.0253 हेक्टैयर कुल किता 5 रकबा 0.6196 हेक्टेयर आराजी स्थित है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें से खसरा नम्बर 278/1 रकबा 0.1012 हेक्टैयर के सम्बंध में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। खसरा नम्बर 278/1 रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के खातें व कब्जे की आराजी है प्रार्थीगण आपस में सगे भाई है उनकी संयुक्त आराजी प्रार्थीगण के खाते शामलाती है वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जें की आराजी है। जिसका एक मात्र खातेदार कृषक प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराज के लगमा खसरा नं0 256 भूमि है जो राज सरकार के खाते में है जिस पर गॉव के कुछ लोग अवेद्य कब्जा किए हुए है व प्रार्थीगण की आराजी पर भी अवैद्य रूप से कब्जा करना चाहते है। सीमाज्ञान नही होने से प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार है अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है ताकि अनावश्यक रूप से प्रार्थीगण की आराजी में दखल अंदाजी ना करे। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी माण्डवी तहसील पचपहाड़ में जमाबंदी खाता संख्या नया 479 खाता संख्या पुराना 453 में खसरा नम्ब्र 278/1 रकबा 0.1012 हैक्टेयर आराजी का सीमाज्ञान टीम गठीत कर करवाया जावें। प्रार्थीगण की आराजी पर टीम की नपति अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर पर पत्थर गढ़ी करने के आदेश प्रदान किए जावे।

प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमे तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा उनके पत्र कमाक एफ.(2) () राजस्व/2024 /2502 दिनांक 04.11.2024 से मौका जॉच रिपोर्ट (जवाब) पेश किया गया, जिसमें अंकन किया गया कि ग्राम माण्डवी की आराजी खसरा नम्बर 278/1 की भूमि मौके पर पड़त हैं। खसरा नम्बर 278/1 का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी गठित टीम द्वारा किया जा सकता है। इसलिये प्रकरण में निम्नानुसार क्रियात्मक आदेश प्रदान किये जाते है।

क्रियात्मक आदेश

हमने पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। पक्षकार की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार कृषक है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढ़ी करवाने का हक व अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अंतर्गत धारा 128 भूराजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपहाड़ को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाये जाने के बाद ग्राम माण्डवी के खाता संख्या नया 479 खाता संख्या पुराना 453 के खसरा नम्बर 278/1 की आराजी रकबा 0.1012 हैक्टेयर का सीमाज्ञान टीम गठीत कर करवाये व टीम की नपति अनुसार आराजी की पत्थरगढ़ी की जावे। खर्चा फरिकेन अपना– अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हमारे समक्ष टंकित करवाया गया।

(छत्रपाल चौधरी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी